FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम नीमकाथाना (राज.)

देवीलाल बनाम मनोहरलाल वगैरह

2025/116

किस्म मुकदमा दावा बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा मु0नं0 76 सन् 2025 जीसीएमएस नं.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
01-04-2025	रिपोर्ट सरिस्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वादिगण उपस्थित। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक **02.05.2025** को पेश हो। (हस्ताक्षर) राजवीर सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	
02/05/25	वकील वादीगण उप०। प्रतिवादी सं. 1 की ओर से श्री गिरधारी लाल बागड़ी एड. ने वकालतनामा पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 व 5 की तामील सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी सं. 4 व 5 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी सं. 3 की ओर से श्री होशियार सिंह बड़सरा ने U.T. दर्ज करवायी। वास्ते पेश होने जवाब व वकालतनामा दिनांक 24/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) पत्रावली पेश हुई। वकुलाप उपस्थित। P.O साहब दीगर कार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 3/9/25 को पेश हो।	प्रतिवादी नं 3 श्रवण की ओर से U/T पेश हुए (हस्ताक्षर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested

हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना

उनवानी देवी... बनाम मनोहर लाल मु. सं. 76/2025

तारीख हुक्म	हुकम या कार्यवाही
08-08-2025	वकील वादी द्वारा शीघ्र सुनवाई हेतु प्रार्थना पत्र मिसल तलबी पेश करने पर पत्रावली नियत तारीख पेशी से पूर्व आज तलब हुई। वकुलाय उपस्थित। प्रतिवादी सं0 2 की तामील पूर्व में सम्यक रूप से होना पायी गयी। बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः प्रतिवादी सं0 2 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। प्रकरण में प्राथमिक डिक्री के लिए बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने का निवेदन किया।

पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया एवं बहस वकुलाय उभयपक्ष पर सगौर मनन किया गया। चूंकि प्रकरण तकास्मा का हैं। वादग्रस्त आराजी के वादी एवं प्रतिवादीगण संयुक्त खातेदार हैं। वकुलाय उभयपक्ष प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी करने हेतु सहमत हैं तथा शेष प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये जिससे उक्त प्रतिवादीगण की वादी के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं तथा प्रतिवादी सं0 4 व 5 प्रकरण में Formal पक्षकार हैं। अतः वकुलाय उभयपक्ष का निवेदन स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाकर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की जाती हैं किः–

आदेश

तहसीलदार नीमकाथाना तन ग्राम गोडावास तहसील नीमकाथाना अवस्थित वादग्रस्त आराजी ख0 नं0 763 रकबा 0.6650 है0 में विवादीत पक्षकारान को सूचित कर उनकी उपस्थिति में स्वयं मौका–निरिक्षण कर निम्न शर्तो को ध्यान में रखते हुये विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करेंः–

1. यदि पक्षकारान ने आपस में बाहमी बंटवारा कर अपने–अपने हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे हैं तो मौका एवं रिकार्ड के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
2. पक्षकारान की आपसी सहमति से बंटवारा के प्रस्ताव तैयार कर भिजवावें।
3. यदि उपरोक्त बिन्दु सं. 1 व 2 के अनुसार पक्षकारान के बीच बंटवारा किया जाना सम्भव नहीं हैं तो "मिट्स एण्ड बाउण्ड्स" के सिद्धान्त पर पृथक्–पृथक् लगान कायम करते हुए मीन बकाया [illegible] नक्शा ट्रेस में लाल सूर्ख स्याही से [illegible] विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम के नियम– 18 से 21 के अनुसार राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याय/स्था/प–51/2008/विविध /10546 दिनांक 05.10.2020 में प्रदत्त दिशा–निर्देशानुसार तैयार करवाकर प्रकरण में नियत आगामी तारीख पेशी दिनांक 03.09.2025 से पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

Signature Not V
Digitally signed by F
Yadav
Date: 2025.10.06 1
Reason: SelfAtteste

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार नीमकाथाना को उपरोक्तानुसार विस्तृत विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु तहरीर जारी हो तथा तदनुसार प्राथमिक डिक्री पर्चा जारी हो। वास्ते प्राप्त होने विस्तृत विभाजन प्रस्ताव मिसल दिनांक 03.09.2025 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.) पत्रावली पेश हुई वकुलाय उपस्थित। P.O साहब ... कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पुर्व आदशानुसार दिनांक 8/9/25 को पेश हों।	
08/09/2025	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में विस्तृत विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुआ जो शामिल मिसल किया गया। प्रकरण में विभाजन प्रस्ताव पर बहस वकुलाय उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकुलाय उभयपक्ष ने तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमति जताते हुए मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री फरमाने का निवेदन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड एवं तहसीलदार नीमकाथाना से प्राथमिक डिक्री की पालना में प्राप्त विस्तृत विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। चूंकि वकुलाय उभयपक्ष तहसीलदार नीमकाथाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव से सहमत हैं। अतः वाद वादी न्यायहित में स्वीकार किया जाकर मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो तथा तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील	

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना (राज.)

तारीख हुक्म	मुकदमा सं. हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख जो इस हुक्म तामील में जा
	दाखिल दफ्तर हो। यह निर्णय आज दिनांक 08.09.2025 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय मुद्रा से खुले न्यायालय में सुनाया गया। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी, नीमकाथाना राजवीर सिंह उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (सीकर)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested

डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत **उपखण्ड अधिकारी** मुकाम नीमकाथाना **(सीकर)**
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. देवीलाल पुत्र सवाईसिंह जाति बावरिया निवासी बावरियों का मौहल्ला, बृसिंहवास तहसील नीमकाथाना जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. मनोहरलाल पुत्र गुल्लाराम जाति बलाई निवासी नई बस्ती मालनगर तहसील नीमकाथाना जिला सीकर वगैरह

–प्रतिवादीगण

दावा बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा
मुकदमा नं. 76 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी **श्री बलबीर सिंह जाखड़ एडवोकेट** मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री होशियार सिंह बड़सरा, श्री गिरधारी लाल बागड़ी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाता हैं। विस्तृत विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री का भाग रहेगा। मुताबिक विस्तृत विभाजन प्रस्ताव राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हो।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत..खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ....का अदा करें।

बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज **तारीख 08 माह 09 सन् 2025** को जारी की गई।

(मुहर: उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.))

दस्तखत..............
ओहदा.............

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

मुहर

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान			मीजान		

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.10.06 16:26:14 IST
Reason: SelfAttested